बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
::: आदेश :::

का0आ0–15/बि0स0से0–20–06/2017 सा0प्र0 12893 ...../पटना–15, दिनांक 9-10-17

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–4685, दिनांक 25.06.2003, 1802 दिनांक 23.03.2006 तथा संकल्प ज्ञापांक–7566 दिनांक 14.07.2010 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) का संकल्प ज्ञापांक–390 दिनांक 31.01.2007 तथा संकल्प ज्ञापांक–7043, दिनांक 31.10.2008 के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 तथा संशोधन नियमावली, 2006 के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने स्तंभ– 3 में अंकित तिथि से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैण्ड– रू0 15600–39100/– + ग्रेड वेतन– रू0 6600 /– में द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/वरीयता क्रमांक/विभाग का नाम	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की तिथि
1	2	3
1	श्री जगन्नाथ यादव, सेवा निवृत सहायक, 1204 31.08.1950/31.08.2010 नगर विकास एवं आवास विभाग	20.07.2001
2	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, प्र0 पदा0 2174 16.03.1958/31.03.2018 कृषि विभाग	27.07.2008
3	स्व0 बलिराम सिंह, तत्कालीन सहायक, 2047 05.01.1961/16.05.2012 (मृत) शिक्षा विभाग	27.07.2008

2. क्रमांक–3 पर स्व0 बलिराम सिंह, तत्कालीन सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संबंध में विभागीय पत्रांक 16146 दिनांक 12.11.2015 एवं पत्रांक 12434 दिनांक 12.09.2016 द्वारा पुलिस अधीक्षक निगरानी अन्वेषण व्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई कि स्व0 सिंह के मृत्यु के उपरांत कार्रवाई बंद की गई है या नही। सूचना अप्राप्त। तत्पश्चात् समिति के निर्णय के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1367 दिनांक 12.09.2017 में उल्लेखित है कि इनका असामयिक निधन दिनांक 16.05.2012 को हो गया है। इनकी मृत्यु होने के कारण इन्हें द्वितीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

3. सहायक संयुक्त सम्वर्ग के गठन के बाद उनके प्रशासी विभाग द्वारा की गयी सेवा सम्पुष्टि नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगें और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जाय।

Path- E:\PK\sushant\ACP\June 2015\office order\1st MACP Office Order July2015.docx

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 566 दिनांक 18.10.1995 निर्गत किये जाने के पश्चात सहायक संयुक्त सम्वर्ग के कर्मियों को उनके तत्कालीन प्रशासी विभाग द्वारा परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रशासी विभाग इस संबंध में आश्वस्त हो लेगे और यदि ऐसा है तो सामान्य प्रशासन विभाग से विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधी उक्त आदेश की सम्पुष्टि कराने के उपरान्त ही उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा।

5. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण यथास्थिति मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) ए (I) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका 12 में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

6. उपर्युक्त के आलोक में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए0 सी0 पी0 के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

9/10/17

(एम0एस0अंसारी)
सरकार के अवर सचिव

12893
ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–06/2017सा0प्र0 ~~12891~~ /पटना–15, दिनांक 9-10-17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/17
सरकार के अवर सचिव

12893
ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–06/2017सा0प्र0 ~~12891~~ /पटना–15, दिनांक 9-10-17

प्रतिलिपि :–संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मी को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

9/10/17
सरकार के अवर सचिव

12893
ज्ञापांक–15/बि0स0से0–20–06/2017सा0प्र0 ~~12891~~ /पटना–15, दिनांक 9-10-17

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा)/अवर सचिव (प्रभारी बिहार सचिवालय सेवा) तथा प्रशाखा पदाधिकारी–15, 16 एवं 17 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/17

सरकार के अवर सचिव।